न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः 30/2024 — दर्ज दिनांकः 28.08.2024

जी.सी.एम.एस. न0ः 2024/247 — निर्णय दिनांकः 09/01/2025

गिरधारीलाल पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर तन बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय — दिनांकः—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271, 1330, 1379 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की माता एवं प्रार्थी के नाम से सहखातेदारी के तौर पर विरासत से दर्ज हो गई। विरासत दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियों ने प्रार्थी की माता का नाम भंवर कंवर पत्नि मानसिंह के स्थान पर रिसाल कंवर पत्नि मान सिंह दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज रिकार्ड हुआ है। प्रार्थी कि माता का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी कि माता का सही नाम भंवर कंवर पत्नि मान सिंह है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271, 1330, 1379 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी की माता का नाम रिसाल कंवर पत्नी मान सिंह के बजाय भंवर कंवर पत्नि मान सिंह शुद्व/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी से जबाब/तथ्यात्मक जांच प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271, 1330, 1379 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की माता एवं प्रार्थी के नाम से सहखातेदारी के तौर पर विरासत से दर्ज हो गई। विरासत दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियों ने प्रार्थी की माता का नाम भंवर कंवर पत्नि मानसिंह के स्थान पर रिसाल कंवर पत्नि मान सिंह दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज रिकार्ड हुआ है। प्रार्थी कि माता का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी कि माता का सही नाम भंवर कंवर पत्नि मान सिंह है। अतः राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner

में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271, 1330, 1379 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी की माता का नाम रिसाल कंवर पत्नी मान सिंह के बजाय भंवर कंवर पत्नि सिंह शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 कथन किया कि राज–हित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी ने अपनी माता का नाम रिसाल कंवर के बजाय भंवर कंवर शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी की माता का नाम सही नाम भंवर कंवर है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का बागोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1271, 1330, 1379 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी की माता का नाम रिसाल कंवर पत्नि मान सिंह के बजाय भॅवर कंवर पत्नि मान सिंह शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

CamScanner